अनवान..... स्टेट बनाम कलेक्टर सा. श्रीम

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अर्जी हुक्म की तारीख
5.09.18	आगंतुक पक्षावली मृतक के पारिवारिक परिवार न्यायालय के हाजिर होने पर पेशी में लाई गई जिसने वकील के हाजिर होने पर पेशी में लाई गई जिसने वकील के सम्बन्ध में हाजिर होकर अपने बयान लिखित के तहरीर करवाये जो पक्षावली ही अतः गवाहान व पारिवारिक परिवार के बयानात लेने पश्चात निर्णय करके निर्णय जो संलग्न पक्षावली निम्नलिखित है अपने परिवार के दिनांक 01.12.2015 को मृत रजिस्टर्ड वसीयतनामे के दिनांक 27 मार्च खाता नं. 10/7 ग्राम 24, 25 43/15 बीघा 3.542 है कि अपनी पुत्रवधू रश्मि पालीवाल पत्नी लक्ष्मीनिवास के पक्ष में 1.393 है. एवं 27 H की खाता नं. 10/9 ग्राम 6.7.16 17 23/3 23/6 23/8 की मृतका खाते में 1.265 है. खाता नं. 30/25 ग्राम 2, 7 12 23/2 की 3.896 है. कि इसके अलावा अन्य चल अचल सम्पत्ति अपनी धर्मपत्नी कलेक्टर के पक्ष में करवाई है आवश्यक में सार्वजनिक सूचना आपत्ति आमंत्रित करके प्रकाशित करवाए गवाह श्रीकृष्ण व अन्य विशेष की पहचानकर्ता ने वसीयत होने की पुष्टि करते व मृतक के पारिवारिक परिवार नोटरीकृत पूर्व हाजिर होकर अपनी सहमति जाहिर की है कि मेरे पिता के हमारे चरणु करवोर को ध्यान में रखते हुए वसीयत के पूर्व से ही कि दर्ज ही इसलिए हमें कोई उपहार नहीं है ऐसी पुत्रवधू अथवा विवाह रहित लोगों व पारिवारिक परिवारों के पक्ष में होना मौके पर रहना होना आदि स्थिति में मृतक की वसीयत में वर्णित स्थिति कि पुत्रवधू प्रार्थना कलेक्टर स्वीकार किया जाकर) व निर्णय किया जाकर नियमानुसार नामान्तरण किया जाने परन्तु हकदार के नाम के आदेश जारी हो निर्णय से आज इजलास मुनासिब	